निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 675) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

---

fof/k foHkkx

अधिसूचना

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी० 01–14/2021–4284/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
पी०सी०चौधरी,
ljdkj d lfpoA

[fcgkj vf/kfu;e 18] 2021]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य सम्यक् संचालन हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन एवं कतिपय नये प्रावधानों का समावेशन किया जाना आवश्यक है।

भारत–गणराज्य के बहतरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1- lf{kIr uke] foLrkj ,o ikjEHkA&

(1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh iLrkouk e l'kk/ku A& बिहार अधिनियम 24, 2008 की प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

राज्य में व्यवसायिक शिक्षा की प्रचलित एवं नवीन विधाओं में शिक्षण की उत्कृष्टता, शोध की सम्प्राप्ति एवं अभिवर्द्धन तथा राज्य सरकार अथवा ट्रस्ट अथवा सोसायटी के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, नदी अध्ययन, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भौगोलिक अध्ययन, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, कला एवं संस्कृति, दर्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, पुरातत्व एवं संरक्षकीय अध्ययन एवं अन्य विधाओं के क्षेत्र में स्थापित संस्थानों के संचालन एवं मान्यता प्रदान करने के निमित एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेशन करने के लिए ;

भारत गणराज्य के उनसठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

3- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 2 e l'kk/ku ।– बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 2 की उपधारा 27, 28 एवं 36 को प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा नई उपधारा 37 निम्नवत् जोड़ा जायेगा :–

(27) ''व्यावसायिक शिक्षा'' से अभिप्रेत है, ऐसे कार्य से संबंधित शिक्षा जो नौकरी पाने से जुडी हो जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, नदी अध्ययन, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भौगोलिक अध्ययन, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, कला एवं संस्कृति, दर्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, पुरातत्व एवं संरक्षकीय अध्ययन एवं अन्य विधाओं में विशेष प्रशिक्षण अथवा कौशल की आवश्यकता हो,

(28) ''मान्यता प्राप्त शिक्षक'' से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए गये है,

(36) ''विश्वविद्यालय शिक्षक'' से अभिप्रेत है, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक,

(37). ''विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, किसी विभाग का प्रमुख।

4- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 4 e l'kk/ku ।– बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 4 में एक नई उप धारा (6) निम्नरूपेण जोड़ा जाएगा :–

(6) बिहार सरकार द्वारा किसी विशेष पेशेवर क्षेत्र के लिए नये विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात राज्य सरकार अथवा ट्रस्ट अथवा सोसाईटी द्वारा स्थापित एवं वर्तमान में अस्तित्व में संस्थाएँ नये विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाएगी तथा नये अधिनियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

5- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 10 e l'kk/ku ।– बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 की उप धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं उप धारा (3) के द्वितीय परन्तुक को विलोपित किया जाएगा :–

(1) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे। इस अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (27) के विषयों के अनुरूप वे ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षो का अनुभव प्राप्त हों अथवा परिभाषा के अनुरूप जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासकीय संगठन में न्यूनतम 10 वर्षो का अकादमिक नेतृत्व प्रदर्शन का प्रमाण हो।

(2) उप धारा (3) का दूसरा परन्तुक विलोपित।

6- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 18 e l'kk/ku ।– बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 18 की उपधारा (2) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(2) सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होगी। कार्यकारिणी परिषद द्वारा अध्यक्ष के परामर्श पर सभा की बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित की जाएगी।

7- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 28 e l'kk/ku A& बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 28 की उप धारा (3) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, उपधारा (4) को विलोपित किया जाएगा एवं इसमें एक नयी उपधारा (5) निम्नवत् जोड़ा जाएगा :–

(3) कोई नया परिनियम या परिनियम में खण्ड जोड़ा जाना अथवा उसमें कोई संशोधन या निरसन में राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी, जो उस पर सहमति दे सकेंगे या सहमति रोक सकेंगे या उसपर पुनर्विचार के लिए कार्यकारिणी परिषद् को वापस कर सकेंगे;

परन्तु राज्य सरकार उसे कार्यकारिणी परिषद् को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकेगा।

(4) विलोपित

(5) राज्य सरकार वर्तमान परिनियम में कोई निरसन अथवा संशोधन अथवा उसमें जोड़े जाने के लिए एवं नये परिनियम के गठन के लिए कार्यकारिणी परिषद् को प्रस्ताव कर सकेगी।

8- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 31 esa la'kks/ku A& बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 31 के वर्तमान प्रावधान को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित करते हुए इस धारा में एक नई उपधारा (2) निम्नवत् जोडा जाएगा :–

(2) (क) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक पद राज्य सरकार की सहमति से सृजित किया जाएगा।

(ख) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित परिनियम, नियम और विनियम के प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्ति अथवा प्रोन्नति अमान्य होगी एवं उसको किसी भी समय निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार की अनियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय को इस प्रकार के अनियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति करने वाले पदाधिकारी से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के अधीन वसूली की जाएगी।

9- 0;kofr A& इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् बिहार अधिनियम 24, 2008 की प्रस्तावना, धारा 2, धारा 4, धारा 10, धारा 18, धारा 28 एवं धारा 31 में किए गए संशोधनों तथा धारा 10 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक एवं धारा 28 की उपधारा (4) के विलोपन के बावजूद पूर्व में की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया गया कार्रवाई समझा जाएगा, मानो यह अधिनियम उस तिथि एवं उस कार्रवाई को करने के समय प्रवृत था।

ihŒ lhŒpk/kjh]
ljdkj ds lfpoA

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–14/2021**&4285@ys t**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमत **आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 ¼fcgkj vf/fu;e 18] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
ihŒ lhŒpk/kjh]
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 18, 2021]

ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2021

AN

ACT

To Amend the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 (Bihar Act 24, 2008)

For proper functioning of Aryabhatta Knowledge University in the current perspective, it is expedient to amend certain provisions and to add certain new provisions in the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-second year of the Republic of India as follows:

1. ***Short title, Extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication of the notification in the official gazette.

2. ***Amendment in Preamble of Bihar Act 24, 2008.—*** *Preamble of Bihar Act, 24, 2008, shall be substituted by the following.—*To establish and incorporate a University to achieve excellence in teaching, to promote and augment research in Professional Education and new frontiers of learning and knowledge and to conduct and facilitate affiliation of institutions set up by the State Government or Trust or Society in the fields of Nanotechnology, Astronomy, Environmental Science and Climate Change, River Studies, Economics, Journalism and mass Communication, Geographical Studies, Non Conventional Energy, Art and Culture, Philosophy, Stem Cell Technology, Archaeology and Curatorial Studies and others.

Be it enacted by the Legislature in the State of Bihar in the Fifty-Ninth year of the Republic of India as follows:

3. ***Amendment in Section 2 of Bihar Act 24, 2008.—***While substituting Sub Section 27, 28 and 36 of Section 2 of the Bihar Act 24, 2008 by the following, one new Section 37 shall be inserted in the following manner:-

(27) *'Professional Education'* means education connected with a job that needs special training or skill in the fields of Nanotechnology, Astronomy, Environmental Science and Climate Change, River Studies, Economics, Journalism and mass Communication, Geographical Studies, Non Conventional Energy, Art and Culture, Philosophy, Stem Cell Technology, Archaeology and Curatorial Studies and others ;

(28) *'Recognized Teachers'* means such persons as are approved by the University for the purpose of imparting instruction in the University;

(36) *'University Teachers'* means Assistant Professor, Associate Professor and Professor;

(37) *'Head of Department'* means Head of a Department;

4. ***Amendment in Section 4 of Bihar Act 24, 2008.—***A new Sub Section (6) in Section 4 of the Bihar Act 24, 2008 shall be inserted which is as follows:-

(6) After establishment of any new university in the State of Bihar for a particular professional field, all existing institutions set up by the Government or Trust or Society affiliated with the university will be governed by the provisions of the new Act.

5. ***Amendment in Section 10 of Bihar Act 24, 2008.—*** Sub Section (1) of Section 10 of the Bihar Act 24, 2008 shall be substituted by the following and second Proviso of Sub Section (3) shall be deleted:-

(1) The Vice Chancellor shall be a person possessing the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He should be a distinguished academician with a minimum of ten years experience as Professor in a University or ten years of experience in a reputed research or Academic Administrative organisation with proof of having Demonstrated Academic leadership, in the fields as defined in Section 2(27) of this Act.

(3) Second Proviso to sub section (3) deleted.

6. ***Amendment in Section 18 of Bihar Act 24, 2008.—***Sub Section (2) of Section 18 of the Bihar Act 24, 2008 shall be substituted by the following:-(2) The Court shall necessarily meet at least once every year. The Executive Council shall fix the date and time for the meeting on the advice of the Chairman of the Court.

7. ***Amendment in Section 28 of Bihar Act 24, 2008.—***Sub Section (3) of Section 28 of Bihar Act 24, 2008, shall be substituted, Sub Section (4) shall be deleted and one Sub Section (5) shall be inserted in the following manner:-

(3) Every new statute or addition of sections to the statutes or any amendment or repeal thereof, shall be sent to the Chancellor for his assent after the consent of the state Government, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Executive Council for reconsideration.

Provided that the State Government may remit it to the Executive Council for reconsideration

(4) deleted

(5) The State Government may propose to repeal, amend or add to existing statutes and to frame new statutes to the Executive Council.

8. ***Amendment in Section 31 of Bihar Act 24, 2008.—***Insertion of following new Sub Section (2) in Section 31 of Bihar Act 24, 2008 after numbering the existing provision as Sub Section (1):-

(2) (a) Teaching or non-teaching posts in the university shall be created with the consent of the State Government.

(b) Any appointment or promotion made contrary to the provision of this Act, or Statutes, Rules or Regulations made there under shall be invalid and shall be terminated at any time. The expenditure incurred by the university against such irregular appointment or promotion shall be realized from the officer making such irregular appointment or promotion as a Public Demand under the provisions of the Public Demand Recovery Act, 1914.

9. ***Saving.—***After this Act comes into force, any action taken in exercise of power conferred by or under this Act, shall be deemed to have done in exercise of power conferred by or under this Act, as if this Act, were in force on the day on which such action was done, notwithstanding amendments in the Preamble, Section 2, Section 4, Section 10, Section 18, Section 28, Section 31 and deletion of second proviso to the Sub Section (3) of Section 10 and Sub Section (4) of Section 28 of Bihar Act 24, 2008.

P.C.CHOUDHARY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 675-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in